कार्यालयः-जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज।

आदेश संख्याः 01 दिनांकः01-01-2026

आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-3689/एसएलएसए-83/2025 दिनांकित 02 दिसम्बर, 2025 तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पूर्व मे आयोजित मध्यस्थता अभियान की सफलता से प्रेरित होकर सम्पूर्ण राष्ट्र में दिनांक 01 जनवरी, 2026 से दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान-2.0 चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयो में लम्बित प्रकरणो को अधिकाधिक संख्या में निस्तारण कराना है।

अतः सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि मध्यस्थता अभियान-2.0 को सफल बनाये जाने हेतु दिनांक 01 जनवरी, 2026 से दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक ऐसे मामले जिनकी मध्यस्थता के माध्यम से समाधान की प्रबल संभावना हो उनको अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित करते हुए मध्यस्थता हेतु नियत कर मध्यस्थता केन्द्र कासगंज को सन्दर्भित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि मध्यस्थता के माध्यम से अधिक से अधिक वादो का निस्तारण कर उक्त अभियान को सफल बनाया जा सकें। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभियान का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

तदानुसार सूचना सभी सम्बन्धित को सूचित किया जायें।

जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कासगंज।